न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 601/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राहुल पुत्र नन्दकिशोर जाति जाट निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर		पंचायत समिति फलोदी जरिये विकास अधिकारी

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–5–2016 जो न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2014 अनवान राहुल बनाम पंचायत समिति फलोदी मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लोर्डियां तहसील फलोदी के म्युटेशन संख्या 675 जिसे नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा दिनांक 29–3–87 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट लोर्डियां मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 के द्वारा अपील को मयाद बाहर एवं सारहीन होना मानते हुए खारीज कर दी जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही । अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लोर्डिया के खसरा नंबर 24 की भूमि सेटलमेंट से आज तक राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.गोवा दर्ज है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त खसरा नंबर 24 की 33 बीघा 17 बिस्वा भूमि पंचायत समिति फलोदी को आवंटित होना बताते हुए म्युटेशन संख्या 675 पंचायत समिति फलोदी के नाम गैरखातेदार का दर्ज करते हुए नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा दिनांक 29–3–1987 को स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त खसरा नंबर 24 की भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है जो अपीलांट के पिता एवं ताऊ के खातेदारी के खसरा नंबरान 23 व 25 के चिपती हुई है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त खसरा नंबर 24 की भूमि गै.मु.गोवा की भूमि है जिसमे बारीश होने पर बरसाती पानी इसमे से होकर गुजरता है तथा शेष दिनो मे आम जन के आने जाने

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

के रास्ते के उपयोग मे आता है जिसे पंचायत समिति फलोदी को आवंटित कर दी जाने से अपीलांट को अपने खातेदारी के खेत मे आने जाने मे परेशानी हो रही है इसलिए उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प मे ले जाकर हमे सुनवाई का अवसर दिये बिना मयाद बाहर होना तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने के इरादो की पुष्टि होने की फाईंडिंग देते हुए खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की किस्म गै. मु.गोवा है, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे होने से ऐसी भूमि का आवंटन किया ही नही जा सकता था तथा यह भी कथन किया कि गैर खातेदारी अधिकार आवंटन के जरिये किसी खातेदार को ही दिया जा सकता है जबकि पंचायत समिति जो कि एक राजकीय उपक्रम है उसके पक्ष मे गैर खातेदार का जो म्युटेशन स्वीकृत किया गया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 एवं म्युटेशन संख्या 675 मौजा लोर्डिया का निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर प्रकरण का गुणावगुण पर अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 675 का भी अवलोकन किया ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 675 ग्राम लोर्डिया का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि ग्राम लोर्डिया का म्युटेशन संख्या 675 उपखण्ड अधिकारी फलोदी क आदेश क्रमांक राजस्व/86/71 दिनांक 17–12–86 तथा तहसीलदार फलोदी के आदेश क्रमांक राजस्व/86/498 दिनांक 8–1–87 के अनुसार भरा जाकर पटवारी हल्का लोर्डिया ने प्रस्तुत किया जिसे निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी कि पैमाईश कर कब्जा दे दिया गया है, प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार फलोदी ने उक्त म्युटेशन को पंचायत समिति फलोदी के नाम गैर खातेदार के रूप मे दिनांक 29–3–87 को स्वीकृत किया गया था ।

उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे लगभग 27 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 के द्वारा मयाद बाहर एवं सारहीन होने से खारीज कर दी जाने पर यह अपील अपीलांट ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे जब अपीलाधीन म्युटेशन उपखण्ड अधिकारी फलोदी एवं

तहसीलदार फलोदी के आदेश की पालना मे स्वीकृत किया गया था तथा अपीलांट को उक्त दोनो आदेशो को चुनौती देकर निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे अपील पेश कर चाराजोही की जानी चाहिये थी, जो नही कर अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन संख्या 675 के विरूद्ध अपील पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पंचायत समिति फलोदी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब एवं पंचायत समिति फलोदी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर अध्ययन करने के उपरांत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत है ।

अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन खसरा नंबर 24 की भूमि का उपयोग ग्रामवासियो द्वारा रास्ते के रूप मे किया जा रहा है तथा गायो के बैठने एवं चराई हेतु उपयोग मे आ रहा है,यदि ऐसा होता तो अन्य ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत स्वयं उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश कर सकती थी । इसके अलावा अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है जिससे अपीलांट के कथनो की पुष्टि होता हो तथा यह प्रकट होता हो कि अपीलांट को अपने खेत मे आने जाने का रास्ता बाधित होता हो ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन भूमि का म्युटेशन उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेशो की पालना पंचायत समिति फलोदी के पक्ष मे ही स्वीकृत हुआ है तथा पंचायत समिति भी एक राज्य सरकार की संस्था है, ऐसे मे खसरा नबर 24 की भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये म्युटेशन तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–5–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर